फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रूपसिंह बनाम हनुमान वगै0

मा नं0 :– 315/2019

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता श्री गोविन्द सिंह की जमीन खसरा नम्बर 366 आरडिया वाला रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा संवत 1984 संन 1939 में खुद काश्त खसरा किश्तवार मौजा पोतली, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी निजामत आमेर राज सवाई जयपुर मुताबिक पैमायश राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टिया दर्ज है। भू प्रबंध विभाग खतौनी बन्दोबस्त के कम सं0 27 में संवत 2008 लगायत 2027 में खसरा नम्बर 428 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी सोयम 1/2 मांगीया वल्द गणेश कौम मीणा सा0 खोरी हि0 1/2 ग्राम पोतली रिकार्ड में प्रविष्टि है। पुराने खसरा नम्बर 366 का खसरा नम्बर 428 सेटलमेंट चकबन्दी मे परिवर्तन होकर नया खसरा नम्बर दिया गया एवं राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टिया कर दी गई एवं वादी के पिता गोविन्द सिंह की खातेदारी खसरा नम्बर 428 में हिस्सा 1/2 दे दिया गया जो गलत दिया गया है तथा कम सं0 72 में भू प्रबंध विभाग खतौनी बन्दोबस्त संवत 2008 लगायत 2027 में खसरा नम्बर 427 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मांगीया वल्द गणेश कौम मीणा सा0 खोरी ग्राम पोतली दर्ज है। संवत 2008 लगायत 2027 में पुराना खसरा नम्बर 427 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी 1 व खसरा नम्बर 428 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी 3 का नया खसरा नम्बर 123 बना दिया जिसका कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा है जो कि मांगीया वल्द गणेश जाति मीणा के नाम गलत रूप से प्रविष्टिया दर्ज हो गई। जिसमें से रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा पुराना खसरा नम्बर 428 में वादी रूपसिंह काबिज काश्त रहा है। वादी का 12 वर्षो से अधिक का पुराना कब्जा अपने पिता के जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बरान मे रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पूर्व खसरा नम्बर 428 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो कि वर्तमान में खसरा नम्बर 123 में मिला दी गई है का 1/2 हिस्सा वादी को पुराना खसरा नम्बर 428 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का परिवर्तित खसरा नम्बर 123 में से 2 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र में वादी द्वारा ऐसे कोई तथ्य एवं दस्तोवज पेश नही किये जिसने यह साबिक होता हो कि वादी का लगातार उक्त वादग्रस्त आराजियात भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद पत्र मे वादी द्वारा पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को दस्तावेजो के अभाव खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	